न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34 / 2022 दायर दिनांकः 12.12.2022

उनवान

1. अब्दुल गफ्फार आयु 45 वर्ष पुत्र लाल खान जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 28.08.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल दीलोदहाथी तहसील अटरू में खाता संख्या 122 के खसरा नं. 1142 का रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 805 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.64 है0 आराजी में हिस्सा 1/12 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से अब्दुल गफ्फार के स्थान पर गफ्फार अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम अब्दुल गफ्फार है जो कि उसके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, बैंक डायरी, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में भी अब्दुल गफ्फार नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम गफ्फार पुत्र लालखा के स्थान पर अब्दुल गफ्फार पुत्र लाल खां दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम गफ्फार कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम

भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल दीलोदहाथी तह. अटरु जिला बारां (राज.) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एवं माल दीलोदहाथी तहसील अटरू में खाता संख्या 122 के खसरा नं. 1142 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 805 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 का रकबा 0.64 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम गफ्फार पुत्र लालखा के स्थान पर अब्दुल गफ्फार पुत्र लाल खां दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2072–75 खाता संख्या 122, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वार्ड पार्षद नगरपालिका छबडा प्रमाण पत्र दिनांक 06.12.2022 का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल दीलोदहाथी तहसील अटरू में खाता संख्या 122 के खसरा नं. 1142 का रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 805 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 आराजी में सह खातेदार गफ्फार पुत्र लालखा के स्थान पर अब्दुल गफ्फार उर्फ गफ्फार पुत्र लाल खां किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल दीलोदहाथी तहसील अटरू

में खाता संख्या 122 के खसरा नं. 1142 का रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 805 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 आराजी में सह खातेदार गफ्फार पुत्र लालखा के स्थान पर अब्दुल गफ्फार उर्फ गफ्फार पुत्र लाल खां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां